

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आरएएस

प्रकरण सं० : 163/2019

अनवान :

1. बलदेव पुत्र भागीरथ पौत्र दुनीराम जाति जाट निवासी भैरुछानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादी

बनाम

1. भागीरथ पुत्र दुनीराम जाति जाट निवासी भैरुछानी तहसील भादरा।
2. सुभाष पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी भैरुछानी तहसील भादरा।
3. शारदा पुत्री भागीरथ पत्नी कृष्ण जाति जाट निवासी भैरुछानी हाल निवासी नरवासी तहसील राजगढ़ जिला चुरू।
4. समेस्ता पुत्री भागीरथ पत्नी महेन्द्र जाति जाट निवासी भैरुछानी हाल निवासी नरवासी तहसील राजगढ़ जिला चुरू।
5. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरुस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज०काश्त०अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री संदीप गोदारा : वादी

वकील श्री प्रभुराम गोदारा : प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक : 05-08-2019

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम चक 6 जेएसएल के खाता संख्या 122/104 के मु.न. 7 के किला नं. 16 की 0.253 हैक्टर, किला नं. 17 की 0.240 हैक्टर, 18/1 की 0.076 हैक्टर, 18/2 की 0.139 हैक्टर, किला नं. 25 की 0.253 हैक्टर, किला नं. 24/1 की 0.164 हैक्टर, किला नं. 24/2 की 0.051 हैक्टर, किला नं. 25/1 की 0.228 हैक्टर, मु.न. 22 के किला नं. 2 की 0.253 हैक्टर, किला नं. 9/1 की 0.202 हैक्टर, किला नं. 10/1 की 0.025 हैक्टर, किला नं. 12/2 की 0.013 हैक्टर, किला नं. 13/3 की 0.144 हैक्टर, मु.न. 23 के किला नं. 4 की 0.253 हैक्टर, किला नं. 5/1 की 0.164 हैक्टर, कुल क्षेत्रफल 2.458 हैक्टर जिसमें से नहरी 2.396 हैक्टर, गै.मु. खाला 0.062 हैक्टर जो वादी के पिता भागीरथ पुत्र दुनीराम के नाम से खातेदारी दर्ज है। नकल जमाबंदी सम्वत 2072-76 संलग्न अर्जादावा है। यही बिनाय दावा है।

वाद भूमि दादालाई एवं संयुक्त परिवार व पुश्तैनी पैतृक कृषि भूमि है। उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी भागीरथ को अपने पिता दुनीराम से विरासतन प्राप्त हुई है। पक्षकारान दावा संयुक्त परिवार के सदस्य है एवं उक्त कृषि भूमि के प्रतिवादी भागीरथ के साथ वादी व प्रतिवादी सं. 2 ता 4 का जन्म से हक व हिस्सा निहित है। प्रतिवादी भागीरथ के साथ वादी व प्रतिवादी सं. 2 ता 4 संयुक्त रूप से भूमि को काश्त करते आ रहे है। वाद भूमि प्रतिवादी भागीरथ के नाम महज कर्ता खानदान होने के कारण दर्ज है।

प्रतिवादिया सं. 3 व 4 शादीशुदा है जो अपनी-अपनी ससुराल में राजी खुशी से आबाद है। प्रतिवादिया सं. 3 व 4 का वादी व प्रतिवादी सं. 1 के साथ काफी स्नेह है

जिसके चलते प्रतिवादिया सं. 3 व 4 ने अपना हक हिस्सा का मौखिक रूप से पूर्व दिपावली पर आपस में घरू सहमति से वादी व प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष में बहिस्सा बराबर तर्क कर अपना हक हिस्सा शुन्य कर लिया और अपने अपने हिस्से पर कब्जा वादी व प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष में सम्भाल दिया है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 संयुक्त रूप से काश्त करते आ रहे हैं।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं० 1 ता 4 अपना राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। प्रतिवादी सं. 5 राज पैराकार ने अपना जवाबदावा पेश किया।

साक्ष्य वादी में वादी बलदेव पुत्र भागीरथ पौत्र दुनीराम जाति जाट निवासी भैरुछानी तहसील भादरा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी सम्वत 2073-76 चक 6 जेएसएल खाता संख्या 122/104 प्रदर्श 1, जमाबंदी एकीकरण विभाग प्रदर्श 2, जमाबंदी भू-प्रबंध विभाग चक 6 जेएसएल प्रदर्श 3, खतौनी जमाबंदी भूमि चक 6 जेएसएल सम्वत 2041-44 प्रदर्श 4, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत गढीछानी प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि दादालाई पुस्तैनी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तीगत वाद वादी ने ग्राम चक 6 जेएसएल के खाता संख्या 122/104 के मु.न. 7 के किला नं. 16 की 0.253 हैक्टर, किला नं. 17 की 0.240 हैक्टर, 18/1 की 0.076 हैक्टर, 18/2 की 0.139 हैक्टर, किला नं. 25 की 0.253 हैक्टर, किला नं. 24/1 की 0.164 हैक्टर, किला नं. 24/2 की 0.051 हैक्टर, किला नं. 25/1 की 0.228 हैक्टर, मु.न. 22 के किला नं. 2 की 0.253 हैक्टर, किला नं. 9/1 की 0.202 हैक्टर, किला नं. 10/1 की 0.025 हैक्टर, किला नं. 12/2 की 0.013 हैक्टर, किला नं. 13/3 की 0.144 हैक्टर, मु.न. 23 के किला नं. 4 की 0.253 हैक्टर, किला नं. 5/1 की 0.164 हैक्टर, कुल क्षेत्रफल 2.458 हैक्टर जिसमें से नहरी 2.396 हैक्टर, गै.मु.खाला 0.062 हैक्टर जो वादी के पिता भागीरथ पुत्र दुनीराम के नाम से खातेदारी दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है। वादी ने अपने दावा में वाद भूमि दादालाई पुस्तैनी कृषि भूमि होना व वाद भूमि में वादी का जन्म से हक हिस्सा होना अंकित किया है जिसकी पुष्टि में वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी सम्वत 2073-76 चक 6 जेएसएल खाता संख्या 122/104 प्रदर्श 1, जमाबंदी एकीकरण विभाग प्रदर्श 2, जमाबंदी भू-प्रबंध विभाग चक 6 जेएसएल प्रदर्श 3, खतौनी जमाबंदी भूमि चक 6 जेएसएल सम्वत 2041-44 प्रदर्श 4, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत गढीछानी प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवाये हैं। इस प्रकार वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। वादी एवं प्रतिवादीगण सं० 1 ता 4 ने भी राजीनामा के अनुसार वादी द्वारा चाहे गये अनुतोष से सहमत है एवं वादी द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित दस्तावेजात के आधार पर वाद वादी साबित होना पाया जाता है।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा साबित होने पर डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि ग्राम चक 6 जेएसएल के खाता संख्या 122/104 के मु.न. 7 के किला नं. 16 की 0.253 हैक्टर, किला नं. 17 की 0.240 हैक्टर, 18/1 की 0.076

23 A-4
हैक्टर, 18/2 की 0.139 हैक्टर, किला. नं. (25) की 0.253 हैक्टर, किला नं. 24/1 की 0.164 हैक्टर, किला नं. 24/2 की 0.051 हैक्टर, किला नं. 25/1 की 0.228 हैक्टर, मु. न. 22 के किला नं. 2 की 0.253 हैक्टर, किला नं. 9/1 की 0.202 हैक्टर, किला नं. 10/1 की 0.025 हैक्टर, किला नं. 12/2 की 0.013 हैक्टर, किला नं. 13/3 की 0.144 हैक्टर, मु.न. 23 के किला नं. 4 की 0.253 हैक्टर, किला नं. 5/1 की 0.164 हैक्टर, कुल क्षेत्रफल 2.458 हैक्टर जिसमें से नहरी 2.396 हैक्टर, गै.मु.खाला 0.062 हैक्टर जो वादी के पिता भागीरथ पुत्र दुनीराम के नाम से खातेदारी दर्ज कृषि भूमि प्रतिवादी सं० 1 भागीरथ के बजाय वादी बलदेव 1/3 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 भागीरथ 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 सुभाष 1/3 हिस्सा बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं० 3 ता 4 ने वाद कृषि भूमि में से अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 2 के पक्ष में त्याग कर दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05.08.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

A-4
P-8-19
(सहायक कलेक्टर)
(फास्ट ट्रैक) अद्वारा
सहायक कलेक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आरएएस

प्रकरण सं० : 163/2019

अनवान :

1. बलदेव पुत्र भागीरथ पौत्र दुनीराम जाति जाट निवासी भैरुछानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादी

बनाम

1. भागीरथ पुत्र दुनीराम जाति जाट निवासी भैरुछानी तहसील भादरा।
2. सुभाष पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी भैरुछानी तहसील भादरा।
3. शारदा पुत्री भागीरथ पत्नी कृष्ण जाति जाट निवासी भैरुछानी हाल निवासी नरवासी तहसील राजगढ़ जिला चुरू।
4. समेस्ता पुत्री भागीरथ पत्नी महेन्द्र जाति जाट निवासी भैरुछानी हाल निवासी नरवासी तहसील राजगढ़ जिला चुरू।
5. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरुस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज०का०अधिनियम 1955

आज यह वाद मुझ सुखाराम पिण्डेल सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री संदीप गोदारा एवं वकील प्रतिवादीगण प्रभुराम गोदारा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने वाद वादी मुताबिक राजीनामा साबित होने पर डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि ग्राम चक 6 जेएसएल के खाता संख्या 122/104 के मु.न. 7 के किला नं. 16 की 0.253 हैक्टर, किला नं. 17 की 0.240 हैक्टर, 18/1 की 0.076 हैक्टर, 18/2 की 0.139 हैक्टर, किला नं. 23 की 0.253 हैक्टर, किला नं. 24/1 की 0.164 हैक्टर, किला नं. 24/2 की 0.051 हैक्टर, किला नं. 25/1 की 0.228 हैक्टर, मु.न. 22 के किला नं. 2 की 0.253 हैक्टर, किला नं. 9/1 की 0.202 हैक्टर, किला नं. 10/1 की 0.025 हैक्टर, किला नं. 12/2 की 0.013 हैक्टर, किला नं. 13/3 की 0.144 हैक्टर, मु.न. 23 के किला नं. 4 की 0.253 हैक्टर, किला नं. 5/1 की 0.164 हैक्टर, कुल क्षेत्रफल 2.458 हैक्टर जिसमें से नहरी 2.396 हैक्टर, गै.मु.खाला 0.062 हैक्टर जो वादी के पिता भागीरथ पुत्र दुनीराम के नाम से खातेदारी दर्ज कृषि भूमि प्रतिवादी सं० 1 भागीरथ के बजाय वादी बलदेव 1/3 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 भागीरथ 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 सुभाष 1/3 हिस्सा बहिस्सा बराबर के खातेदार

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

बलदेव बनाम भागीरथ आदि

काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं० 3 ता 4 ने वाद कृषि भूमि में से अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 2 के पक्ष में त्याग कर दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 05.08.19 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

A
 5.8.19
 (सुखाराम पिण्डेल)
 सहायक कलक्टर
 (फास्ट ट्रेकिंग)
 सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
 भादरा, जिला हनुमानगढ़